फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

हनुमान बनाम सरकार

ार्थना पत्र संख्या : 268 / 2024

्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया जाकर एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। वकील प्रार्थी ने जवाब न देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अतः वकील उभय पक्षो की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 व मूल प्रार्थना पत्र धारा 131, 132, 136 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	21.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं दौहराते हुए निवेदन किया किया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 3.69है0 के राजस्व नक्शें को दक्षिण दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 262 के राजस्व नक्शें मुताबिक तरमीम करने के आदेश दिया जावें तथा तदानुसार खसरा नम्बर 266 मे तरमीम दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन करने एव बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0एक्ट पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	